

आवेदन क्रमांक.....

खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा

फार्म डी-1

नये/डुप्लीकेट/निरस्तीकरण के आधार पर राशन कार्ड के लिये
आवेदन पत्र

पूरा विवरण स्पष्ट अक्षरो में भरें

1. आवेदक का नाम
2. माता/पिता/पति का नाम.....
3. घर का पूरा पता: मकान नं० वार्ड नं०..... सैक्टर.....
मोहल्ला/गली..... गांव/शहर फोन नं०.....
4. व्यवसाय एवं पद पता सहित
5. गैस कनेक्शन है या नहीं यदि है तो उपभोक्ता क्र०.....
सिलैण्डरो की संख्या..... गैस एजेंसी का नाम.....
6. क्या आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है या नहीं.....
यदि है तो उसका विवरण: नाम..... व्यवसाय..... पैन नं०.....
7. सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय.....
8. परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण:

क्र.सं.	नाम	आयु	पिता/ पति का नाम	आवेदक के साथ सम्बन्ध	स्थान/राज्य जहां से आये है, आने की तिथि

तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर/निशान अंगुठा

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता हूँ कि:

1. पूर्व पृष्ठ पर दी गई सुचना सही है।
2. मैं भारत का नागरीक हूँ।
3. कालम 8 में शामिल सदस्यों में से किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और नहीं किसी अन्य राशन कार्ड में यह नाम दर्ज है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन लेता है।

फार्म का मूल्य: एक रूपया,
ए०पी०एल० राशन कार्ड का मूल्य:
दो रू०, दो ग्रुप फोटो, राजपत्रित
अधिकारी/पार्शद/सरपंच से
सत्यापित फार्म व फोटो

सत्यापित फोटो
चिपकाएँ

4. पूर्व पृष्ठ पर दिये गये पते पर मैं वर्ष से रहता हूँ।
5. इससे पूर्व पांच वर्षों में निम्न लिखित स्थानों पर रहा हूँ:-

पता..... पता..... पता.....

6. उपर दिये गये पते पर भी मैंने अपने नाम से या अपने परिवार की किसी सदस्य के नाम से राशन कार्ड नहीं बनवाया। मैं यह भी ब्यान करता हूँ कि मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है वह बिलकुल सत्य व ठीक है। गलत ब्यानी के कारण दोषी पाये जाने पर मैं दण्डनीय नियमों के तहत सज़ा का भागी हूँगा।

शपथ कर्ता, आवेदक के हस्ताक्षर
व तिथि

सत्यापित करने वाले व्यक्ति के
हस्ताक्षर पद मोहर तथा तिथि

गलत सूचना देने वाले आवेदक तथा आवेदन पत्र को गलत रूप से सत्यापित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

7. डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने हेतु डिपोधारक की रिपोर्ट

राशन कार्ड नं०..... यूनिट..... डी-4 नं० रजिस्ट्रेशन नं०.....

उक्त राशन कार्ड पर मास..... तक राशन दिया गया है। जोकिश्रेणी का है।
प्रार्थी का यह राशन कार्ड जो गुम हो गया है यदि मेरे डिपो पर आया तो मैं कार्यालय में जमा करवा दूंगा।

डिपोधारक के हस्ताक्षर व तिथि

केवल कार्यालय प्रयोग के लिये

निरीक्षण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की सत्यापित रिपोर्ट

आज दिनांक..... को आवेदक के पड़ोसी श्री/श्रीमति.....
निवासी मकान नं०..... से सम्पर्क किया गया। आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही पाये गये। दिये गये पते पर रह रहे व्यक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है:-

व्यस्क बच्चे शिशु कुल सदस्य

या

परिवार फार्म में दिये गये पते पर नहीं रहता।

निरीक्षक के हस्ताक्षर तथा तिथि

जारी किये गये राशन कार्ड की संख्या..... वार्ड नं०..... मकान नं०.....
..... डी-4 नं० यूनिट श्रेणी.....

राशन कार्ड बनाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर तिथि सहित	अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने इन्द्राज डी-4 रजिस्टर में नाम दर्ज किया है। तिथि सहित	वितरण कार्ड जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तिथि सहित
---	--	---

राशन कार्ड प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर तिथि सहित